फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

गिरदावरी बनाम ओमप्रकाश

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 198 सन–2022

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
02.09.2022	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का विन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान /अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 204/184 की कुल 18.1470हैक भूमि जो सयुक्त खाते में दर्ज है बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के आगामी तारीख पेशी तक अकृषि प्रयोग न किया जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं यह स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 14.10.2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
10/14/22	पत्रावली पेश हुई श्रीमान्‌ ओ. साहब [illegible] पत्रावली दि0 16/12/22 को पेश हो।	
16/12/22	वकील सायल उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1,5,6 की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा Adv. ने वकालतनामा पेश किया जो काबिल कबूल है। शेष प्रतिवादी गण की तामीली हेतु रजि. सम्मन पेश करे। पत्रावली तामीली/जवाब हेतु दिनांक 18/01/2023 को पेश हो।	
28/12/22	वकीला सायला की ओर प्रार्थना पत्र पर पेशी दे ली गई मामला के प्रार्थना पत्र पर मूल वाद खारिज हो चुका है। प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर के रूम रोकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:06:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner